14,800 से ज्यादा एनजीओ का पिछले पांच वर्षों में पंजीकरण रद किया गया है। ये वे एनजीओ हैं जिनका पंजीकरण विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत किया गया था और विदेशी चंदा ले रहे थे। यह जानकारी लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दी।

आज कुलभूषण जाधव पर आइसीजे सुनाएगी फैसला

हेग, प्रेट्र : नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) 17 जुलाई यानी बुधवार को कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएगी। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्ति ले चुके जाधव इस समय पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। उनकी मौत की सजा टालने की भारत की याचिका पर आइसीजे फैसला देगी।

आइसीजे के जज दोपहर तीन बजे हेग के पीस पैलेस में पब्लिक सीटिंग में मौजूद होंगे। इस दौरान प्रमुख जज अब्दुलवकी अहमद युसूफ कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे।

अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव के खिलाफ मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद भारत ने आइसीजे में सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। पाकिस्तान ने जाधव को जासूस माना है जबकि भारत इस बात से इन्कार करता आया है। भारत का कहना है कि पाक ने विएना संधि का उल्लंघन किया है। इसके तहत विदेशी कैदी को काउंसलर एक्सेस दिया जाता है। भारत ने कोर्ट में कहा है कि पाक की सैन्य अदालत का फैसला पूरी तरह से झूठे केस पर आधारित है। जाधव पर आतंकवाद के भी आरोप पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर आतंकवाद के आरोप भी लगाए हैं। पाक का दावा है कि उसने जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से उस समय गिरफ्तार किया था जब वह ईरान के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जबकि जाधव जो भारतीय नौसेना से रिटायर अफसर हैं। वह बिजनेस ट्रिप

- भारत को उम्मीद जाधव को अंतरराष्ट्रीय अदालत से मिलेगा जीवनदान

कुलभूषण जाधव फाइल फोटो

पर ईरान गए थे और उनका अपहरण कर लिया गया था।

2017 में भारत के पक्ष में फैसला: फरवरी में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान पुलवामा आतंकी हमले का असर साफ नजर आया। मई 2017 में आइसीजे ने पहली बार मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक जाधव को कुछ नहीं होना चाहिए। फरवरी में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है। दिसंबर 2017 में जाधव की मां और पत्नी ने पाकिस्तान का दौरा किया लेकिन पाकिस्तान ने उनकी मां एवं पत्नी के साथ बदसलूकी की। यहां तक कि उसने जाधव से मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी को मंगलसूत्र और चूड़ियां पहनने की इजाजत नहीं दी। जाधव जब अपनी मां और पत्नी से मिल रहे थे तो उस दौरान इनके बीच शीशे की दीवार थी।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तीन माह में बंद करने का आदेश

सख्त रुख ▶ एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया आदेश

कहा, लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को देशभर के 'गंभीर रूप से प्रदूषित' और 'बेहद प्रदूषित' इलाकों में तीन महीने के भीतर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता।

सीपीसीबी और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संयुक्त रूप से 2009-10 में किए गए अध्ययन के आधार पर औद्योगिक क्लस्टरों को 'प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र' (पीआइए) के रूप में अधिसूचित किया गया था। उन्हें उनके व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक के अंकों के आधार पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (सीपीए), बेहद प्रदूषित क्षेत्र (एसपीए) और अन्य प्रदूषित क्षेत्र (ओपीए) के रूप में विभाजित किया गया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीपीसीबी

एनजीटी ने कहा है कि स्वास्थ्य की कीमत पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता। फाइल फोटो

को निर्देश दिया कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करके प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से पिछले पांच साल के लिए वसूली जाने वाली हर्जाने की रकम का निर्धारण करे। इसके निर्धारण में लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को हुए नुकसान की कीमत के साथ-साथ उसके निवारण के तत्व को भी ध्यान में रखा जाए। एनजीटी ने साफ किया कि इस आदेश से प्रदूषण नहीं फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयां प्रभावित नहीं होंगी। पीठ ने सीपीसीबी यह निर्देश भी दिया कि वह विशेषज्ञों की मदद से जल एवं वायु प्रदूषण मानकों के आधार पर प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं को संकलित करे और तीन महीने के भीतर ऐसी सूचनाओं को सार्वजनिक करे। एनजीटी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को हालात में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए। सीपीसीबी को तीन महीने बाद ईमेल से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई पांच नवंबर तय कर दी।

मालेगांव में स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने का आदेश : एनजीटी ने महाराष्ट्र के मालेगांव और उसके आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने के लिए संयुक्त समिति का गठन किया है। इसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मालेगांव नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मालेगांव बेहद घनी आबादी वाला शहर है और वहां प्रदूषण फैलाने वाली कई औद्योगिक इकाइयां हैं। इस शहर की औद्योगिक गतिविधियों की वजह से गिरना नदी में काफी औद्योगिक कचरा गिरता है जिससे पर्यावरण के गंभीर नुकसान हो रहा है। एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को रिहायशी इलाकों में संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती और अधिकारियों को इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे।

संसद प्रश्नोत्तर

पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों के लिए था नागरिकता विधेयक

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 का बुनियादी लक्ष्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना था। यहां तक कि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होने पर भी यह सुविधा दी जानी थी। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोइ के सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'तीन साल पहले यह विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के नाम से लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। समिति ने इसी साल सात जनवरी को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राज्यसभा में यह विचार और पारित करने के लिए लंबित था। इसके बाद 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक समाप्त हो गया।'

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का बुनियादी लक्ष्य पाकिस्तान,

- पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था

अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेज के आए छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना था। यहां तक कि जिनके दस्तावेज की अवधि समाप्त हो गई उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जानी थी। उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 ऐसे लोगों को अवैध आव्रजक मानता है और उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से रोकता है।

असम में ट्रिब्यूनल ने 1.17 लाख को विदेशी घोषित किया : असम में गठित ट्रिब्यूनल ने इस साल मार्च तक कुल 1.17 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. कृष्ण रेड्डी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक के लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में असम के विभिन्न जिलों में 100 विदेशी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं।

'पहले ही मुझे संसद नहीं आने की जानकारी दें मंत्री'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

साधारण सांसद ही नहीं मंत्रियों को भी संसद के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह कर दिया है कि संसद में अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कुछ चेतावनी देते हुए कहा कि कई मंत्री भी अपनी रोस्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं। यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गायब रहने वाले सभी मंत्रियों के नाम उसी शाम दिया जाना चाहिए।

भाजपा पहले से भी बड़ी जीत हासिल कर सत्ता में लौटी है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार के वक्त भी सांसदों को संसद के प्रति जिम्मेदार बनने का सुझाव दिया था और बाद में आगाह भी किया था। लेकिन बहुत सुधार अब तक नहीं दिख रहा है। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ सांसदों को बल्कि मंत्रियों को भी फिर से याद दिलाया है।

खासतौर से नए सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'पहली छवि ही अंतिम छवि होती है। इसीलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें और संसद का पूरा उपयोग करें।' मंत्रियों से उन्होंने कहा, 'मंत्रियों को भी रोस्टर ड्यूटी करनी होती है, उन्हें सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहना पड़ता है। अगर किसी कारण नहीं आ सकते तो पहले बताना चाहिए।'

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। एएनआइ

गौरतलब है कि सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई न कोई मंत्री सदन के अंदर हो, लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि सदन के अंदर कोई मंत्री मौजूद नहीं रहता है और विपक्ष की ओर से इसे मुद्दा भी बनाया जाता है। मंत्रियों की मौजूदगी इसलिए भी अहम होती है क्योंकि सरकार की तरफ से केवल वही विचार रख सकते हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सासंदों को सामाजिक सरोकार से जुड़ने की सलाह दी। इसी क्रम में उन्होंने 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए अभियान चलाने की अपील की। मोदी ने इस संबंध में महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। एक टीबी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए कहे जाने पर गांधी ने कहा था कि उन्हें इस पर ताला लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता तो बेहतर रहता।

सांसदों के साथ को बैठक करेंगे प्रधानमंत्री : सांसदों के साथ आमने-सामने चल रही मुलाकात के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी अपने सरकारी आवास पर बुधवार को 46 से 57 वर्ष आयुवर्ग के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। 57 वर्ष से अधिक उम्र के सांसदों से वह गुरुवार को मिलेंगे।

सीएससी के जरिये मिलेगा महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिला उद्यमियों से समूह बनाने को कहा
- सिलेंडरों की बिक्री के लिए 'प्वाइंट ऑफ सेल' बनाएं सीएससी : धर्मेंद्र प्रधान

देश में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) चला रही महिलाओं को प्रोत्साहन देगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ग्राम स्तर की महिला उद्यमियों को सीएससी के भीतर स्वयं सहायता समूह गठित कर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए।

सीएससी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा, 'सीएससी के लिए देश में बहुत अवसर आने वाले हैं। फरवरी 2019 में घोषित एक लाख डिजिटल गांवों के सृजन में सीएससी काफी मददगार होंगे। सीएससी को ही देश में मौजूद 1.25 लाख ऑप्टिकल फाइबर ग्राम पंचायतों को संभालने का भी अवसर मिलेगा।'

देश में सीएससी के तेज विस्तार को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के लिए अगले पांच साल में तीन लाख करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य तय किया है। प्रसाद ने कहा कि देश भर में सरकार ने वीएलई के जरिये 3.5 लाख प्रतिनिधि तैयार किए हैं, जो ग्रामीण भारत को शहरों में उपलब्ध सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी लोगों के कल्याण के लिए शुरू किए गए सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सीएससी को देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री के लिए प्वाइंट ऑफ सेल बनाने को भी कहा। प्रधान ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम देश भर के सात करोड़ चालीस लाख परिवारों तक पहुंच चुकी है। इससे सिलेंडरों की बिक्री की गुंजाइश लगातार बढ़ रही है। अगर सीएससी देश में बिकने वाले कुल सिलेंडरों का 20 फीसद भी बेचे तो उनके लिए यह आमदनी का बड़ा स्रोत हो सकता है।

पांच साल में जम्मू-कश्मीर में मारे गए 963 आतंकवादी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले पांच साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में 960 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। हालांकि इसी समयावधि में 413 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ की बात करें तो पिछले तीन साल में लगभग 400 आतंकियों ने घुसपैठ की, जिसमें से 126 को सुरक्षाबलों ने मार गिराया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक लिखित प्रश्न के जवाब में रेड्डी ने बताया कि आतंकवाद के प्रति सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर चलते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों के ठोस और समन्वित प्रयासों के चलते वर्ष 2014 से 2019 के बीच 963 आतंकियों का जम्मू-कश्मीर में सफाया किया गया।

उधर, घुसपैठ के बारे में रेड्डी ने कहा कि आतंकी हिंसा से प्रभावित जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा इस तरह की कोशिशें हुईं। 2016 में 119, 2017 में 136 और वर्ष 2018 में 143 घुसपैठ की घटनाएं हुईं। वर्ष 2018 के पहले छह महीने के

- पिछले तीन साल में 400 आतंकियों ने की घुसपैठ
- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने दी लोकसभा में जानकारी

मुकाबले में इस साल घुसपैठ में 43 फीसद की कमी आई है। घुसपैठ की कोशिश करते 126 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। 27 सैनिकों को भी अपनी शहादत देनी पड़ी है।

भारत में रह रहे हैं पाक के 41,331 नागरिक : धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के 41,331 और अफगानिस्तान के 4,193 नागरिक भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को यह जानकारी लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक कठिनाइयों को देखते हुए लंबी अवधि का वीजा देने का निर्णय लिया गया था। वीजा आवेदन से संबंधित एक पोर्टल 2014 में लांच किया गया था।

मिड डे मील में राज्यों को मिलेगी अब ज्यादा मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को तैयार करने के लिए राज्यों को अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग पर खाना बनाने पर आने वाले खर्च में तीन फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। देश भर में यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से ही प्रभावी होगी। फिलहाल, देश के 11 लाख से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है।

यह योजना वैसे तो पूरी तरह से केंद्र सरकार की है, लेकिन खाना तैयार करने पर आने वाले खर्च में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी रहती है। इसका फैसला केंद्रीय फंडिंग पैटर्न के आधार पर तय होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, मिड डे मील तैयार करने के लिए दी जाने वाली राशि में प्राइमरी तक के लिए प्रति छात्र 13 पैसे तथा अपर प्राइमरी यानी छठी से आठवीं तक के लिए प्रति छात्र 20 पैसे की वृद्धि की गई है। इसके तहत प्राइमरी स्तर के लिए प्रति छात्र खाना तैयार करने का खर्च अब 4.48 रुपये हो गया है। इसमें केंद्र 2.69 रुपये देगा, जबकि राज्य 1.79 रुपये का खर्च उठाएगा। बढ़ोतरी के बाद अपर प्राइमरी स्तर के लिए प्रति छात्र खाना बनाने का खर्च 6.71 रुपये कर दिया गया है। इसमें से 4.03 रुपये केंद्र देगा, जबकि 2.66 रुपये राज्य को देना होगा।

मिड डे मील को तैयार करने में होने वाले खर्च में इससे पहले नवंबर-2018 में करीब साढ़े पांच फीसद की बढ़ोतरी की गई थी।

स्विस कंपनी पिलाटस के साथ रक्षा कारोबार पर रोक

नई दिल्ली, एएनआइ : रक्षा मंत्रालय ने स्विटजरलैंड की कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ सभी तरह के कारोबार को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। कंपनी पर भारतीय एयरफोर्स के लिए 75 बेसिक प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट के सौदे में 339 करोड़ रुपये की दलाली देने का आरोप है।

मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा 12 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व अनुबंध अखंडता संधि (पीसीआइपी) का उल्लंघन करने के लिए पिलाटस के साथ सभी तरह के कारोबार को एक साल या अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कंपनी द्वारा 'भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधन और अवैध गतिविधियां' अपनाए जाने के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), दिल्ली पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की जांच का उल्लेख किया गया है।

12 नवंबर, 2010 के पीसीआइपी के तहत पिलाटस कंपनी इस बात को लेकर सहमत थी कि अगर वह सौदे के लिए बोली लगाने या अनुबंध से पहले की बातचीत या अनुबंध करने से पहले वह खरीदार कंपनी के अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यों, एजेंट, दलाल या अन्य बिचौलियों को भुगतान करती है या भुगतान करने का वादा करती है या ऐसा करने

- 75 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सौदे के लिए 339 करोड़ रुपये घूस देने का आरोप
- कंपनी ने भगोड़े हथियार दलाल संजय भंडारी की कंपनी की ली थी मदद

का इरादा रखती है तो उसके बदले में ली गई सेवा के बारे में जानकारी मुहैया कराएगी।

बाद में रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट मिली थी कि कंपनी ने सौदे को सफल बनाने के लिए एक कंपनी की सहायता ली थी, लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी थी। मंत्रालय ने कंपनी से जवाब मांगा था। कंपनी ने माना था कि सौदे को सफल बनाने के लिए उसने ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस की मदद ली थी। यह कंपनी भगोड़े हथियार दलाल संजय भंडारी की है। कंपनी ने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन मंत्रालय ने कंपनी के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया था।

सीबीआई ने इस साल 19 जून को वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों, संजय भंडारी और पिलाटस कंपनी के खिलाफ आइपीसी की धारा 120 बी (अपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत नियमित मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा है कि 2012 में हुए सौदे के लिए 339 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।

फायर ब्रिगेड की तर्ज पर ईआरएसयू का गठन करें

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में सीवर लाइन साफ करते हुए होने वाली मौतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को फायर ब्रिगेड की तर्ज पर आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया ईकाई (ईआरएसयू) का गठन करने को कहा है।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को लिखा है कि स्वच्छता से जुड़े अभियान में किसी भी आपात स्थिति में आएआरएसयू ही सहायता करने के लिए जिम्मेदार होगा। मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की घातक सफाई को कर्मचारियों की रक्षा के कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया है। परंपरागत रूप से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले कर्मचारियों को उचित तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाएं और उन्हें बतौर सीवर एंट्री प्रोफेशनल सर्टीफिकेट दिया जाए। मिश्रा ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी निकायों को अग्निशमन सेवा की तर्ज पर आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया ईकाई (ईआरएसयू) का गठन करना होगा। एक लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में नगरपालिकाओं और सीवेज बोर्ड को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर भाजपा में शामिल

नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। जागरण

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव और अनिल जैन मौजूद थे। बता दें कि एक दिन पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया था।

नीरज अपने पिता के संसदीय क्षेत्र बलिया से 2007 और 2009 में लोकसभा सदस्य रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। हाल में हुए लोकसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा उन्हें उप्र से आगामी राज्यसभा चुनावों में प्रत्याशी बना सकती है। एक रोचक तथ्य यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने बलिया सीट से उनके खिलाफ कभी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। 2007 में चंद्रशेखर के निधन के बाद सपा ने नीरज शेखर को बलिया से प्रत्याशी बनाया था।

पोस्टमैन भर्ती परीक्षा रद, अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : डाक विभाग की बीते रविवार को पोस्टमैन की हुई भर्ती परीक्षा रद कर दी गई। आगे अब यह परीक्षा तमिल समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। राज्यसभा में द्रमुक व अन्नाद्रमुक समेत कई राजनीतिक दलों के सदस्यों के हंगामे के बाद यह फैसला लिया गया। हंगामा कर रहे सांसद केवल अंग्रेजी और हिंदी में परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते भोजनावकाश तक कार्यवाही स्थगित रही। सरकार के स्पष्टीकरण और परीक्षा रद करने की घोषणा के बाद सदन सुचारू रूप से चला। सदन की सुबह कार्यवाही शुरू होते ही तमिलनाडु के सभी दलों ने पोस्टमैन भर्ती परीक्षा में केवल हिंदी और अंग्रेजी में कराए जाने का विरोध शुरू कर दिया। कुछ मिनटों में ही सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद कई बार सदन बैठा लेकिन नहीं चल सका। विरोध करने वाले सांसद इसके समाधान के लिए सरकार से जवाब मांग रहे थे। केंद्रीय दूर संचार, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद दोपहर बाद सदन में आए। उन्होंने सदन में बताया कि इस मुद्दे पर गौर करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि यह परीक्षा रद कर दी जाएगी और अब सारी परीक्षाएं सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएंगी।

आइसीएआर स्थापना दिवस

कृषि मंत्री ने वर्षा आधारित खेती पर जोर देने की बताई जरूरत, कहा- स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर स्मार्ट खेती भी संभव

कृषि वैज्ञानिक कमर कस कर करें चुनौतियों का सामना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ती पानी की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को कमर कसकर आगे आना होगा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्षा आधारित फसलों वाली खेती पर जोर देने की जरूरत है। तोमर मंगलवार को यहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 91वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर स्मार्ट खेती और स्मार्ट किसान बनाने की जरूरत है। लेकिन यह सब संभव तभी होगा, जब वैज्ञानिकों, विज्ञान और तकनीक सब एक साथ जुड़कर काम करेंगे। उन्होंने इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों से आगे बढ़कर पहल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर जमीनी योजनाएं तैयार करनी होंगी। इसमें विज्ञान व तकनीक की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि यह सब आइसीएआर से ही संभव होगा। उन्होंने इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को कमर कसकर आगे

आइसीएआर के 91वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। स्रोत : पीआइबी

बढ़ने को कहा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का बखान करते हुए तोमर ने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की अपील की। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। इसमें आइसीएआर के वैज्ञानिकों की भूमिका अहम है। वर्ष 2019 में रिकार्ड कृषि पैदावार हुई है, लेकिन इसके आगे अभी अनेक चुनौतियों से गुजरना है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कृषि का विकास होना सबसे जरूरी है। देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। इसके विकास के बगैर अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है।

कृषि मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष कृषि की मुश्किलों का खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि जल संकट, उपज का उचित मूल्य, कनेक्टिविटी का अभाव, कृषि उपज का निर्यात का न बढ़ना बड़ी कठिनाइयां हैं। देश में खेती का रकबा तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पानी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह बड़ा संकट है। तोमर वैज्ञानिकों से दो टूक पूछा, 'अब वर्षा आधारित खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इस क्षेत्र में गंभीर अनुसंधान की जरूरत है।' कम पानी वाली फसलें तैयार की जाएं, जितना पानी है, उसके सदुपयोग वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए।

एक अत्यंत गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने पूछा कि कृषि को मुनाफे में कैसे लाया जाए? यह कैसे संभव होगा कि खेतिहर अपने व्यवसाय पर गर्व करें। उसकी अगली पीढ़ी कृषि क्षेत्र में जाने पर गर्व का अनुभव करे। चिंता जताने के अंदाज में तोमर ने कहा कि जब सब लोग खेती से विमुख होने लगेंगे तो क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा तो होगा, लेकिन खाद्यान्न व फल, फूल खरीदने की क्षमता नहीं होगी। इस मसले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। समारोह में आइसीएआर में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों, तकनीकी कर्मचारियों, उन्नतशील किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व अन्य संस्थानों को पुरस्कृत किया गया।

कह के रहेंगे माधव जोशी